INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

सत्यमेव जयते

BPSC

LATEST EDITION

HINDI MEDIUM

Golden Edition

HANDWRITTEN NOTES

BPSC

(PRE+MAINS)

ACHIEVE YOUR DREAM THROUGH SELF STUDY WITH INFUSION NOTES

BASED ON NEW EXAM PATTERN

PART-2 भारत और बिहार की राजव्यवस्था

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

BPSC

PRE + MAINS

BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION

भाग – 2

भारत और बिहार की राजव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**BPSC (Bihar Public Service Commission) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **बिहार लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp करें - https://wa.link/gubxrj

Online Order करें - https://bit.ly/42ANSs2

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2023)

भारतीय राजव्यवस्था		
1.	संविधान निर्माण • राजव्यवस्था का परिचय • संवैधानिक योजना की तुलना • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएं • संविधान के विस्तृत होनें के कारण • संविधान के स्रोत	14
3.	संविधान संशोधन • संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • प्रमुख संशोधन	22
4.	उद्देशिका (प्रस्तावना) • प्रस्तावना के मुख्य शब्द • राज्य के उद्देश्य • प्रस्तावना का महत्त्व	34
5.	मौलिक अधिकार • मौलिक अधिकारों की विशेषताएं • मौलिक अधिकारों की आलोचना • मूल अधिकार	44
6.	नीति निदेशक तत्व • नीति निदेशक तत्व की विशेषताएँ • निदेशक तत्वों का वर्गीकरण • नीति निदेशक तत्वों की आलोचना	59
7.	मूल कर्तव्य • मूल कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण • मूल कर्तव्यों की विशेषताएं	67

	• मूल कर्तव्यों हेतु नवीन संदर्भ	
8.	राष्ट्रपति • योग्यता, निर्वाचन व पद की शर्तें • कार्यकरी शक्तियाँ • वीटो पावर • राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति • उपराष्ट्रपति	75
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद • प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य • मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और कार्यकाल • मंत्रिपरिषद की संरचना • भूमिका कार्य एवं शक्तियाँ	104
10.	संसद • संघीय विधानमंडल • लोकसभा • राज्यसभा • संसदीय समितियां	114
11.	केंद्र-राज्य सम्बन्ध	132
12.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन	135
13.	केंद्र सरकार के विभिन्न आयोग • निर्वाचन आयोग • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक • नीति आयोग • केन्द्रीय सतर्कता आयोग • संघ लोक सेवा आयोग • लोकपाल • केंद्रीय सूचना आयोग	153

	• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	
14.	भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति • राजनैतिक दलों की भूमिका • भारत में दलीय व्यवस्था • दल परिवर्तन कानून	189
15.	गठबंधन सरकारें • भूमिका • भारत पृष्ठ भूमि में गठबंधन सरकार	195
16.	राष्ट्रीय एकीकरण	201
17.	सम्पूर्ण अनुच्छेद	215
18.	राजनैतिक गत्यात्मकताएं • भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका • राजनीतिक आंदोलन • सुरक्षा के मुद्दे • जिला प्रशासन • स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएँ • लोकनीति	229
	विश्व राजनीति	
1.	शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व-व्यवस्था • शीत युद्ध के उदय के कारण • शीत युद्ध का विकास • भारत और शीत युद्ध- • संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिशोध	255
2.	भारत की विदेश नीति • भारत की विदेश नीति का विकास • भारत के साथ पड़ोसी देशों का संबंध	268

	• भारत और यूरोपीय संघ के संबंध • संयुक्त राष्ट्र संघ • भारत की गुटनिरपेक्ष नीति	
3.	दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू-राजनीतिक	303
	बिहार की राजव्यवस्था	
1.	राजनीतिक व्यवस्था	306
2.	राज्यपाल	308
3.	बिहार विधानसभा	312
4.	विधानपरिषद	314
5.	मंत्रिपरिषद	318
6.	महाधिवक्ता	323
7.	लोकायुक्त	324
8.	बिहार में प्रमुख आयोग, न्यायपालिका	325
9.	प्रशासनिक व्यवस्था	331
10.	स्थानीय स्वशासन	334

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

भारतीय राज व्यवस्था

अध्याय – I

संविधान निर्माण

राजव्यवस्था का परिचय

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

- राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है |**
- वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता |
- उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है |

राज्य के तत्व :-

(1). भू-भाग (2). जनसंख्या (3). सरकार (4). संप्रभुता

(1). भू-भाग :- अर्थात् एक ऐसा **निश्चित भौगोलिक प्रदेश** होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों | उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है |

(2). जनसंख्या :- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर **निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,** जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों | यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा|

(3). सरकार :- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है **जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है |** 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि **राज्य एक अमूर्त संरचना है** जबकि **सरकार** उसकी **मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति** |

(4). संप्रभुता या प्रभुसत्ता :- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है | इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या **की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा** उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए |

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं| यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है |

शासन के अंग

(1). विधायिका (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)

(2). कार्यपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)

(3). न्यायपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था)

शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

- किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -
- कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है | अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है |
- कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता** है, जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती** है | यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है | इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है | **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है |

- ***अमेरिका*** *जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। वहां यह* ***तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं।*** *इसे* ***"शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत"*** *कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इस सिद्धांत को "****नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत****" कहते हैं।*
- *जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें।* ***भारतीय न्यायपालिका*** *को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का* ***न्यायिक अवलोकन*** *कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें।*

<u>शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार</u>

<u>प्रकार -1</u>

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है। शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं।

<u>प्रकार -2</u>

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि-कोणों से भी किया जा सकता है। दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

(1). केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-
(a). परिसंघात्मक प्रणाली
(b). संघात्मक प्रणाली
(c). एकात्मक प्रणाली

(2). विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-
(a). संसदीय प्रणाली
(b). अध्यक्षीय प्रणाली

<u>भारत की प्रणाली</u> :-

भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली? काफी सोच विचार के बाद उन्होंने ***संसदीय प्रणाली को चुना*** *जिसके दो प्रमुख कारण थे - प्रथम,भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था तथा द्वितीय,* ***भारत में विद्यमान क्षेत्रीय,सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य*** *को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी।*

1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता की समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई उस समय कुछ लोगों ने यह कहा कि अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए,किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे-धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने में कोई समस्या नहीं है

कि भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का ही चयन किया जाना उपयुक्त था।

- ***<u>परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य</u>***
- *भू-भाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता राज्य के अनिवार्य तत्व हैं।*
- *विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका प्रायः सभी देशों में शासन के प्रमुख अंग हैं।*
- *शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के संख्या के आधार पर राजतंत्र/तानाशाही, अल्पतंत्र/गुट तंत्र तथा लोकतंत्र प्रमुख शासन प्रणाली हैं।*
- *विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणाली शासन के प्रमुख प्रकार हैं।*
- *परिसंघात्मक शासन प्रणाली को* ***'अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन'*** ***कहा जाता है।***

- संघात्मक शासन प्रणाली को **'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन'** कहा जाता है | संघात्मक से तात्पर्य है राज्यों का केन्द्र से अधिक शक्तिशाली होना।
- **एकात्मक प्रणाली** को **'विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन'** कहा जाता है |
- संसदीय प्रणाली में विधायिका सामान्यतः **निम्न सदन** तथा **उच्च सदन** में विभाजित रहती है |
- संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष / राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है, वास्तविक रुप से शासन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता |

भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना :-

ब्रिटिश संवैधानिक योजना :-

- ब्रिटिश शासन प्रणाली **"संवैधानिक राजतंत्र"** पर आधारित है | 1688 ई. से पहले ब्रिटेन में राजतंत्र चलता था, किंतु 1688 ई. में हुई गौरवमयी क्रांति ने राजतंत्र को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी | इसका अर्थ है कि आजकल ब्रिटेन में राजा के पास नाम मात्र की शक्ति है,जबकि वास्तविक शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं जैसे संसद के पास आ गई हैं |
- ब्रिटेन का **लोकतंत्र संसदीय प्रणाली** पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि **कार्यपालिका का गठन विधायिका अर्थात् ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता** है | चूँकि संसदीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश संसद से ही हुआ था इसलिए **संसदीय प्रणाली** को **वेस्टमिंस्टर प्रणाली** भी कहा जाता है | ध्यातव्य है कि 'वेस्टमिंस्टर' लंदन का वह स्थान है,जहां ब्रिटिश संसद भवन स्थित है |
- ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ औपचारिक रूप से गठित किसी संविधान सभा ने कोई ऐसा अकेला दस्तावेज तैयार नहीं किया है,जिसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके |
- ब्रिटेन की संसद अत्यधिक शक्तिशाली है जिसका मूल कारण संविधान का अलिखित होना है | क्योंकि संविधान संसद की शक्तियों पर कोई नियंत्रण लागू नहीं करता, इसलिए **ब्रिटेन की संसद विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया से ही संविधान को बदल सकती हैं |** यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान भी कहा जाता है |
- ब्रिटेन की शासन प्रणाली **एकात्मक** है, संघात्मक नहीं | एकात्मक शासन का अर्थ है कि स्थानीय शासन की इकाइयों को कानून बनाने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है उन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही कार्य करना होता है |
- ब्रिटिश संसद के **दो सदन** है :- **कॉमन्स सभा तथा लॉर्ड्स सभा** | कॉमन्स सभा को निचला सदन भी कहा जाता है और लॉर्ड्स सभा को उच्च सदन कहते हैं |
- ब्रिटिश कार्यपालिका एक मंत्रीपरिषद् के अधीन काम करती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है|
- ध्यातव्य है कि सामान्यतः लॉर्ड्स सभा के सदस्य राजनीति में भाग नहीं ले सकते | ऐसे बहुत कम उदाहरण हुए हैं वहां लॉर्ड्स सभा के सदस्यों ने राजनीतिक पद संभाले हैं |
- इंग्लैंड की न्यायपालिका सामान्यतः कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है | हालांकि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत वहां शक्तियों के पृथक्करण की वैसी गुंजाइश नहीं है, जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में | इस दृष्टि से भी ब्रिटिश संसद न्यायपालिका से बहुत अधिक शक्तिशाली है |
- **2010 में इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया** है, जिसमें **1अध्यक्ष, 1उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति** का प्रावधान है | वस्तुतः यह 12 न्यायाधीश 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' के विधि लॉर्ड्स ही है | इसलिए इस परिवर्तन से कोई संरचनागत परिवर्तन नहीं हुआ है, अंतर सिर्फ इतना आया है कि अब इंग्लैंड के पास औपचारिक रूप से एक सर्वोच्च न्यायालय हो गया है |
- इंग्लैंड की न्यायपालिका के संबंध में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यह 'विधि द्वारा **स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है,** ना कि 'यथोचित विधि प्रक्रिया' के अनुसार |

अमेरिका की संवैधानिक योजना :-

अमेरिकी राजनीतिक संरचना को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है :-

- **संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है|** ध्यातव्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 13 स्वतंत्र राज्यों के समझौते के रूप में इस संविधान

सी. एच. भाभा	- वाणिज्य
रफी अहमद किदवई	- संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	- उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	- कार्य, खान एवं ऊर्जा

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।**
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा** । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है।
- **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत** आया ।

क्रिप्स मिशन

- लॉर्ड **सर पैथिक लारेंस** (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ** । मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी | इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी |
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी । आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था |
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था | यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) |
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के **सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था** के अनुसार किया जाना था |
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था |

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी | उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए | इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली | देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था | आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था | तब भी यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था | इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी | महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे|

निर्वाचन पद्धति :- एकल संक्रमणीय वयस्क मताधिकार पद्धति

कुल सदस्य
↓

ब्रिटिश भारत (296 निर्वाचित) — देशी रियासत (93 सीट) (मनोनीत सदस्य)

ब्रिटिश भारत (296 निर्वाचित):
- 292 प्रांतों से
- उच्च आयोगीय प्रांत (4 सीट)
  - दिल्ली
  - अजमेर मेरवाड़ा
  - कुर्ग
  - बलुचिस्तान

देशी रियासत (93 सीट) (मनोनीत सदस्य):
- जयपुर - 3 सदस्य
- जोधपुर - 2 सदस्य
- उदयपुर - 2 सदस्य
- बीकानेर - 1 सदस्य
- कोटा - 1 सदस्य
- अलवर - 1 सदस्य

उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई | मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई | सभा के सबसे **वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा** को सभा का **अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया | 2 दिन** पश्चात **11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को** सभा का **स्थाई अध्यक्ष बनाया** गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया | संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए |
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी|
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी|
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी|
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे |
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा |
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा|

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे | यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया |

संविधान सभा की बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था |

संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा जायेगा तथा इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी|

Note :- संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी इनमें से एक था - स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था, देश के लिए आम कानून लागू बनाना | इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी|

जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर तथा जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर, 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही|

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष - सच्चिदानन्द सिन्हा
अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष - डॉ. एच. सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

- 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधन सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया|

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता |
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया |
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया |
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया |

- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।**
- 2वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठके हुई, लगभग 60 देशों का संविधान का अवलोकन, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ कुल खर्च 64 लाख रुपया आया ।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अन्तिम बैठक हुई।

संविधान सभा की समितियां

संघ शक्ति समिति	- पं . जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	- पं जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	- सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति	- डॉ. बी. आर. अंबेडकर
मौलिक अधिकारी, अल्पसंख्यको एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रो के लिए सलाहकार समिति	- सरदार पटेल
प्रक्रिया नियम समिति	- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	- जवाहरलाल नेहरु
संचालन समिति	- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति

अंबेडकर (अध्यक्ष)
एन गोपालस्वामी आयंगार
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
डॉ. के.एम मुंशी
सैय्यद मोहमद सादुल्ला
एन. माधव राव (बी. एल. मित्रा की जगह)
टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी खेतान की जगह)

प्रारूप समिति का गठन - 29 अगस्त 1947 नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

डॉ. B. R. अम्बेडर मे 'द कॉन्सटिट्यूशन एज सैटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड' प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर, 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, और इस अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए।

संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं की संविधान सौंपा ।

नए विधि मंत्री डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर को 'संविधान के पिता 'के रूप में पहचाना जाता है, इस महान लेखक संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को "आधुनिक मनु की संज्ञा ' भी दी जाती है।

- 4 नवम्बर 1948 को अंबेडकर ने सभा में संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया गया । इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया ।
- संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया।
- **26 नवम्बर 1949 को अपनाए गये संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसुचियां थी।**

संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

1. हिन्दू = (163)
2. मुस्लिम = (80)
3. अनुसूचित जाति = (31)
4. भारतीय ईसाई = (6)
5. पिछड़ी जनजातियां = (6)
6. सिख = (4)
7. एंग्लो इंडियन = (3)
8. पारसी = (3)

भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता

मद्रास	=	(49)
बॉम्बे (मुंबई)	=	(21)
पश्चिम बंगाल	=	(19)
संयुक्त प्रांत	=	(55)
पूर्वी पंजाब	=	(12)
बिहार	=	(36)
मध्य प्रांत एवं बेरार	=	(17)
असम	=	(8)

- यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं (1923-24) पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया।
- भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली।
- यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ।
- दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिक की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र एवं असम का सिलहट जिला शामिल किया।
- ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तानी राज्य के भू-भाग का हिस्सा बन गए और नतीजन इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आ गए ।

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

1. भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से निक्षेपण अधिनियम' के नाम से जाना जाता है?
   A. भारत शासन अधिनियम, 1919
   B. भारत परिषद् अधिनियम, 1909
   C. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
   D. भारत शासन अधिनियम, 1935

   उत्तर - A

2. योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था ?
   A. ली आयोग   B. मैकाले समिति
   C. इसलिंगटन   D. मैक्सवेल समिति

   उत्तर - B

3. निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
   A. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 : निर्वाचन का सिद्धांत
   B. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 : उत्तरदायी सरकार
   C. भारत शासन अधिनियम, 1919 : प्रांतीय स्वायत्तता
   D. भारत शासन अधिनियम, 1935 : राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका

   उत्तर - A

4. भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित थी?
   A. संघीय व्यवस्थापिका
   B. प्रांतीय व्यवस्थापिका
   C. गवर्नर जनरल
   D. प्रांतीय गवर्नर

   उत्तर - C

5. निम्न में से किस अधिनियम के प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी ?
   A. भारत शासन अधिनियम, 1919
   B. भारत शासन अधिनियम, 1935
   C. भारत परिषद् अधिनियम,1909
   D. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892

   उत्तर - A

6. भारत शासन अधिनियम, 1919 मुख्यतया: किस पर आधारित था?
   A. मार्ले-मिंटो सुधार
   B. मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार
   C. रैमजे मैक्डोनाल्ड अवार्ड
   D. नेहरू रिपोर्ट

   उत्तर - B

7. भारत शासन अधिनियम, 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं?
   1. भारत में परिषदों का उन्मूलन
   2. केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका
   3. राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उन्मूलन
   4. संघीय न्यायालय की स्थापना

   A. 2 एवं 3   B. 1, 2, एवं 3

स्वैच्छिक त्याग :- एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो। ऐसी घोषणा के उपरान्त वह भारत का नागरिक नहीं रहता। अपनी नागरिकता त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केन्द्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती हैं। व्यक्ति के साथ प्रत्येक नाबालिक बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहता यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने पर भारतीय नागरिक बन सकता है।

बर्खास्तगी के द्वारा :
यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसको भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जायेगी । हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो ।

वंचित करने द्वारा :- केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि

(i) यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गयी हो।
(ii) यदि नागरिकता के प्रति अनादर जताया हो ।
(iii) यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्रविरोधी सूचना दी हो।
(iv) पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में दो वर्ष की कैद हुई हो।
(v) नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर सात वर्षों से रह रहा हो।

एकल नागरिकता

- **भारत में एकल नागरिकता है।**
- भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है।
- **लगातार 7 साल बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है।**
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय संसद है।

अध्याय – 5

मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के **भाग तीन में अनु. 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों से संबंधित** प्रावधान है।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा को **U.S.A से** अपनाया गया है। भारत की व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के निम्नलिखित महत्व हैं ।

(1) मौलिक अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक एवं प्रशासनिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात् कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राजनीति में भागीदारी कर सकता है और प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रशासन का हिस्सा बन सकता है।
(2) मौलिक अधिकारों के माध्यम से सरकार की तानाशाही अथवा व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है।
(3) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा स्थापित होती हैं ।
(4) मौलिक अधिकारों के माध्यम से विधी के शासन की स्थापना होती है।
(5) मौलिक अधिकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक और दुर्बल वर्ग को सुरक्षा प्राप्त होती है।
(6) मौलिक अधिकारों के माध्यम से पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को सुरक्षा प्राप्त होती हैं और इसको बढ़ावा मिलता है।
(7) मौलिक अधिकार सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय यात्रा की स्थापना करते हैं।
(8) मौलिक अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा होती है।
(9) मौलिक अधिकार सार्वजनिक हित एवं राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देते हैं।

संविधान के भाग - 3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गयी है जो सर्वथा उचित है इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित ' मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

- मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं,

ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं : संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न की व्यक्तियों की।

मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ

(1) **मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य हैं । अर्थात् मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुरक्षा के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है।**

(2) कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों से सम्बंधित है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित है।

(3) **मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाया गया है।**

(4) मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गये है। इसलिए ये राज्य के लिए नकारात्मक जबकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक है।

(5) ये राज्य के प्राधिकार की कम करते हैं और व्यक्ति के सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

(6) संसद को भी यह अधिकार नहीं कि वह मौलिक अधिकार से सम्बंधित मूल ढाचे में परिवर्तन कर सके । (नकारात्मक परिवर्तन)

(7) आपातकाल के समय अनु० 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

(8) मौलिक अधिकार शत्रु देश के नागरिक तथा अन्य देशों को प्राप्त नहीं हैं।

राज्य की परिभाषा :-

- मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में 'राज्य ' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह अनु. 12 में भाग - 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है :-

  (अ) कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत सरकार ।

  (ब) राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य सरकार ।

  (स) सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएँ, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।

  (द) अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर - संवैधानिक प्राधिकरण जैसे - एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, आदि।

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

प्रश्न. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए?

A. मूलअधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया है।

B. 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लेखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों की वरीयता से संस्थापित की है

कूट -

a. केवल A सही है।

b. केवल B सही है।

c. (A) एवं (B) दोनों सत्य है।

d. (A) एवं (B) दोनों गलत है।

उत्तर – c

मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ :-

अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी, दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं, यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनु. 32) और उच्च न्यायलयों (अनु. 226) को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर - संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं ।

अनु. 13 के अनुसार 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है :-

(अ) स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित।

(c) सार्वजनिक स्थल जैसे - दुकान, होटल, मनोरंजन के साधन आदि के उपभोग से रोकना।
(d) सार्वजनिक संस्थान जैसे - शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय आदि में प्रवेश से वंचित करना।
(e) अनुसूचित जाति का जातिसूचक शब्द के माध्यम से अपमान करना।
(f) किसी व्यक्ति को कोई सेवा अथवा वस्तु देने से इंकार करना ।

- उपर्युक्त नियम राज्य एवं व्यक्ति दोनों से सम्बंधित हैं । अर्थात् न तो राज्य के द्वारा और ना ही व्यक्ति के द्वारा इनका उल्लंघन किया जायेगा ।
- उपर्युक्त कानून के संबंध में राज्य का यह कर्तव्य हैं कि वह लोगों को इस संबंध में सुरक्षा प्रदान करे।

<u>उपाधियों का अंत (अनु. 18)-</u>

संविधान के अनु. 18 में उपाधियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है -

(a) राज्य सेवा एवं विद्या को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नही करेगा ।
(b) भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से भी किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नही करेगा।
(c) यदि कोई विदेशी नागरिक राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत हैं तो उसे विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी।
(d) राज्य के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार अथवा उपलब्धी प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी।

❖ **1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि पद्म पुरस्कार उपाधि नही हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति इनका प्रयोग अपने नाम में उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में नही कर सकता।**

(2) <u>स्वतन्त्रता का अधिकार</u>

अनु. 19 (1) में प्रावधान हैं कि राज्य अपने नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताए प्रदान करता है -

<u>वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :- (अनु. 19(1) A)</u>

इसके अन्तर्गत बोलने एवं किसी भी रूप में अपने विचारो को अभिव्यक्त करना शामिल हैं। जैसे -
(a) सरकार के कार्यों की प्रसंशा करना ।
(b) सरकार के कार्यो की आलोचना करना ।
(c) समाचार पत्र का प्रकाशन करना।
(d) दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि पत्रिकाएं निकालना।
(e) न्यूज चैनल चलाना।
(f) फिल्म का प्रसारण करना ।
(g) अपने उत्पाद का विज्ञापन करना ।
(h) किसी प्रकार के राजनीतिक बंद अथवा किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद का विरोध करना ।
(i) सोशल मीडिया।

- लेकिन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष स्वतंत्रता नही हैं। इस पर आवश्यकता के अनुसार युक्ति युक्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

जैसे-
(i) भारत की एकता एक संप्रभूता ।
(ii) राजा की सुरक्षा।
(iii) विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत् संबंध ।
(iv) समाचार से संबंधित नियम।
(v) लोक व्यवस्था।
(vi) न्यायालय की अवमानना ।
(vii) किसी अपराध के लिए उकसाना।

<u>शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)B)</u> :-

- किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतीपूर्ण तरीके से संगठित होने व सम्मेलन करने का अधिकार हैं।
- इसके तहत नागरिक सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं और बैठको में भाग ले सकते हैं।
- लेकिन किसी निजी स्थल पर सम्मेलन का अधिकार नहीं है।

लेकिन निम्न आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
(i) भारत की एकता व अखंडता।
(ii) लोक व्यवस्था।

- आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत दंडाधिकारी लोगो को इकट्ठा होने से रोक सकता है। और पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

संगम या संघ बनाने का अधिकार –

नागरिको को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार का संघ अथवा सहकारी समिती बना सकता है।

इसमें राजनीतिक दल, कम्पनी, साझा क्लब, व्यापार संगठन आदि का निर्माण कर सकते है। और अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते है ।

लेकिन संघ बनाने के इस अधिकार पर भी निम्न आधारो पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं –

(a) भारत की एकता व सम्प्रभुता ।

(b) लोक व्यवस्था ।

(c) सदाचार अथवा नैतिकता ।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकार के अधीन कार्यरत श्रम संगठनों को हड़ताल करने एवं कार्य रोकने का अधिकार नही है। सरकार चाहे तो ऐसे मामलों को औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित कर सकती हैं। और कर्मचारी की सेवा भी समाप्त कर सकता है।

भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता (अनु. 19(1)d) :-

- इसके तहत नागरिक को अधिकार है कि वह भारत के किसी भी भू-भाग में अर्थात् एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम सकता है। अथवा संचरण कर सकता हैं ।
- **यह अधिकार व्यावहारिक रूप में राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढावा देता है ।**
- एक राज्य के निवासी को दुसरे राज्य में संचरण करने का अधिकार देने से नागरिकों के अन्दर भारतीयता की भावना उत्पन्न होती हैं ।

इस अधिकार पर निम्न आधारो पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता हैं –

(i) अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा एवं उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों को संरक्षण

(ii) लोक व्यवस्था - इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर वैश्यावृति में लिप्त, व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

- इसी के संबंध में बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय हैं कि स्वास्थ्य के आधार पर एड्स से पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर रोक लगाई जा सकती है।

भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने अथवा बसने की स्वतंत्रता:

देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बस सकता हैं ।

वह मौलिक अधिकार देश के किसी भी क्षेत्र में बसने से सम्बंधित अवरोधों को समाप्त करता है लेकिन किसी विशेष समुदाय अथवा जनजातियो के संरक्षण अथवा कला संस्कृति के संरक्षण के आधार पर इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ।

पेशेवर अपराधी एवं वैश्यावृति के मामलों में भी इस पर रोक लगाई जा सकती है।

किसी भी प्रकार के व्यवसाय की स्वतंत्रता (अनु.19(1)G) –

सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छा एवं योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपना सकते हैं। लेकिन निम्नलिखित मामलो में इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

(i) ऐसा व्यवसाय करना जो गैर क़ानूनी हो अथवा विधी के द्वारा अस्वीकृत हो ।

(ii) समुचित सरकार को यह अधिकार है कि किसी व्यवसाय विशेष के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारिण किया जा सकता है।

(iii) किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को सरकार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित कर स्वंय के लिए आरक्षित रख सकती हैं।

(iv) सरकार को यह भी अधिकार है कि किसी समूह अथवा उत्पादक वर्ग अथवा व्यवसायी वर्ग के अधिकारो की सुरक्षा हेतु निश्चित नियम बना सकती हैं।

अनु. -20 - अपराधो के संबंध में अथवा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

इसमें प्रावधान हैं कि –

(i) किसी व्यक्ति को तब तक किसी अपराध के संबंध में दोषी नही ठहराया जायेगा जब तक उसने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन नही किया हो ।

(ii) किसी व्यक्ति को वही दण्ड दिया जायेगा जो अपराध करते समय लागू। अर्थात् बाद में बनाई गई विधी के अनुसार व्यक्ति को दण्डित नही किया जायेगा । लेकिन ये केवल आपराधिक

संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति :-

- संविधान के भाग - 3 में उल्लेखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था, अनु. 19 (1) (च) एवं अनु. 31 में वर्णित था।
- अनुच्छेद 19 (1) (च) प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह नागरिक, हो या गैर - नागरिक को अपनी संपत्ति **वचन** करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है।
- राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर दो शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है - (अ) इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। और - (ब) इसका हर्जाना उसके मालिक को दिया जाना चाहिए।
- 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल - अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग - 3 में अनुच्छेद 19 (1) (च) और अनु. 31 को निरसित किया गया। 'संपत्ति का अधिकार' **शीर्षक** के तहत भाग - 12 में नए अनु. 300 A को शुरू किया गया इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है यह संवैधानिक के मूल ढांचे का हिस्सा भी नहीं है।
- संपत्ति का अधिकार एक विधिक की तरह (जैसे कि मूल अधिकारों से अलग) निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है -

  (अ) इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित कम या पुननिर्धारित किया जा सकता है।

  (ब) यह कर्मचारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं।

  (स) उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनु. 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता वह अनु. 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है।

  (द) राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर्जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है।

मूल अधिकारों के महत्व :-

निम्नलिखित मामलों में मूल अधिकार महत्वपूर्ण हैं-

1. ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं।
2. ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
3. ये वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं।
4. वे देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं
5. ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं।
6. वे भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं।
7. ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं।
8. ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं।
9. यह व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखते हैं।

सारांश

- इंडिया यानी भारत बजाय 'राज्यों के समूह' के 'राज्यों का संघ' होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है- एक देश का नाम, और दूसरी राज पद्धति का प्रकार।
- संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है।
- संविधान के भाग 3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गई है जो सर्वथा उचित है इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में 'न्यायोचित' मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया है।

- मूल रूप से संविधान में सात मूल अधिकार प्रदान किए थे

(1) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23- 24)
(4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
(5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
(6) संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
(7) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

- संपत्ति के अधिकार को 44 वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 क के तहत् कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल छः मूल अधिकार हैं।
- मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग-III के उद्देश्य के तहत् परिभाषित किया गया है।
- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं । यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्राप्त है। जो किसी विधि को और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है।

- **अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न**

1. निम्न में से किस अधिकार को डॉ. अम्बेडकर ने 'संविधान की आत्मा एवं हृदय' कहा था?

a. समता का अधिकार
b. शोषण के विरुद्ध अधिकार
c. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
d. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

उत्तर - c

2. भारत का संविधान निम्न में से किसकी गारंटी नहीं प्रदान करता है?

a. संपत्ति के क्रय, अधिग्रहित या विक्रय करने का अधिकार
b. देश में निर्बाध विचरण का अधिकार
c. शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार
d. किसी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने का अधिकार

उत्तर - a

3. निम्न में से कौनसा वक्तव्य सत्य है?

निजता का अधिकार जिस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है वह है -

a. स्वतंत्रता का अधिकार
b. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
c. समानता का अधिकार
d. शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर - b

4. भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को केवल तब निलंबित किया जा सकता है -

a. जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गयी हो
b. जब संसद द्वारा एक अधिनियम पारित कर दिया गया हो
c. जब संविधान में संशोधन किया गया हो
d. जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया हो

उत्तर - a

5. संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, इसमें उल्लेखित कुछ प्रावधानों को छोड़कर निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है?

a. 2 माह b. 3 माह
c. 4 माह d. 6 माह

उत्तर - b

6. निम्न में से कौन-सा मूलभूत अधिकार है, जो भारत के निवासियों को तो प्राप्त है लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है?

a. विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण
b. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
c. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
d. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

उत्तर - b

7. आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है?

a. अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता
b. अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत प्राप्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार
c. अनुच्छेद 21 एवं 22 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार
d. अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार

उत्तर – (a)

मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है?

प्रश्न 2.भारत के संविधान के अनु. 21 में उपबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के निहितार्थों को स्पष्ट करें?

प्रश्न 3. मानव अधिकारों की सुरक्षा के बिना सामाजिक न्याय असंभव है"। टिप्पणी करें?

प्रश्न 4. संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थ को स्पष्ट करते हुए यह विवेचना कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है?

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न :-

प्रश्न 1. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समानता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए?

प्रश्न 2. भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक और विस्तृत आलोचना का सामना करना पड़ता है, विश्लेषण कीजिए?

प्रश्न 3. " यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों एवं अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स दोनों इस अभाव में समान रूप से प्रगतिशील है तथापि उनके मध्य कई अंतर भी विद्यमान है "। टिप्पणी कीजिए?

प्रश्न 4. क्या मौलिक अधिकारों को त्यागा जा सकता है?

प्रश्न 5. विधि के समक्ष समानता को समझाइये?

प्रश्न 6. विधियों के समान संरक्षण की व्याख्या कीजिए?

प्रश्न 7. संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या कीजिए?

प्रश्न 9. मौलिक अधिकार संबंधी विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन कीजिए?

प्रश्न 10. अनुच्छेद - 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए?

केन्द्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद विषय वस्तु

247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति।

249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति ।

250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति ।

252 दो या अधिक राज्यों के लिए, उनकी सहमति के पश्चात् संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधेयक को अंगीकार करना ।

253 संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है।

257 कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण।

262 अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्यायनिर्णयन।

268 संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किए गए कर ।

268. संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किया गया सेवा कर

269 केन्द्र द्वारा लगाए गए एवं संगृहीत किए गए किन्तु राज्यों को दिये जाने वाले सेवा कर ।

270 केन्द्र एवं राज्यों के बीच लगाये गये कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण ।

275 कुछ राज्यों की संघ से अनुदान ।

283 संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा ।

286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध ।

287 बिजली पर करों से छूट ।

289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट।

290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन।

292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार ।

293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार ।

अध्याय – 12

उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन

भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया है। न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की होती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय माध्यमिक स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर जिला अदालत होती है।

- 1793 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में निचली अदालतों का गठन किया गया।
- **1861 में इंडियन काउंसलिंग एक्ट के अनुसार प्रथम तीन उच्च न्यायलयों का गठन किया गया। (बम्बई, मद्रास, कलकत्ता,)**
- 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट का गठन किया गया। यही वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है। इन अदालतों की दंड प्रणाली एवं कार्य प्रणाली ब्रिटिश काल में ही निर्मित हो गई थी
- 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोर्ट का गठन हुआ। 1862 में इसे लागू कर दिया गया।
- 1908 में सिविल प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में है।
- 1973 में क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेशन कोर्ट अस्तित्व में आई।

- **भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। (सर्वोच्च न्यायालय)**
- सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद की है।

- भारतीय न्यायपालिका की स्थिति U.S.A. एवं U.K. के मध्य में है।

- U.S.A. में न्याय सर्वोच्चता की स्थिति है।
- फेडरल कोर्ट संसद से अधिक शक्तिशाली है।
- U.K. में संसदीय संप्रभुता की स्थिति है। संसद, न्यायपालिका की स्थिति में श्रेष्ठ है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्याय व्यवस्था के मध्य की स्थिति को अपनाया गया।
- संविधान के दायरे में दोनों ही शक्तिशाली है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (आर्टिकल – 124)

- **1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, परंतु वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट 1935 के फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। 28 जनवरी 1950 से अस्तित्व में है।**
- मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। **वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश व 34 अन्य न्यायाधीश है।** इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। परंतु 1993 से ही सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
- इस कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के साथ चार वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।
- राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है तथा यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते।

▪ **[जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश (मेंडमस) कहते हैं।]**

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता (योग्यता)

- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता रहा हो।

Ø H. J. Kania सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।

वर्तमान JI → उदय उमेश ललित (49वाँ) N.V. रमन्ना (48 वाँ)

Ø **K. N. Singh मात्र 18 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे ।**

Ø **राजेंद्र बाबू मात्र 23 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रहे ।**

Ø **Y. V. Chandrachud भारत के सबसे अधिक समय तक सीजीआई थे ।**

Ø 1973 में ए. एन. राय को वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हुए सीजेआई बनाया गया।

Ø फातिमा बीवी पहली महिला न्यायाधीश थी। (सुप्रीम कोर्ट)

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला न्यायधीश हैं।

Ø अन्य महिला न्यायाधीश है - सुजाता मनोहर, रुमा पाल, ज्ञान - सुधा – मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई।

Ø अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहीयों की जांच ना किया जाना, का प्रावधान है।

▪ **[महान्यायवादी, इसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोट डालने का नहीं।]**

▪ **[महान्यायवादी, जो संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है।]**

▪ [महान्यायवादी को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।]

(1) **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल** :- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल :- संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित तीन उपबंध बनाए गये हैं :-

1. वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, उसके मामले में किसी प्रश्न उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी।
2. वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है।
3. संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यकाल के बीच से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है।
- कदाचार एवं शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के आधार पर भी हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णयन, शक्तियों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा, परंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

राष्ट्रपति का सलाहकार

- **सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 व 143 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक सलाह प्रदान करता है।**

[आर्टिकल 124 के तहत दी गई सलाह एक बाध्यकारी होती है, तथा आर्टिकल 143 के तहत दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती।]

सुप्रीम कोर्ट आवश्यक अनुच्छेद के तहत मांगी गई सलाह को देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न. भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं / आता है?

(A) भारत का महान्यायवादी

(B) भूतपूर्व राष्ट्रपति

(C) चीफ ऑफ स्टाक्स

(D) लोकसभा अध्यक्ष

उत्तर - B

उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता :-

1. नियुक्ति का तरीका
2. कार्यकाल की सुरक्षा
3. निश्चित सेवा शर्तें
4. संचित निधि से व्यय
5. न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती।
6. सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक।
7. अपनी **अवमानना** पर दंड देने की शक्ति।
8. अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता।
9. इसके न्यायक्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती।
10. कार्यपालिका से पृथक।

- भारतीय लोकतांत्रिक एवं राजपद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार अहम है। यह अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप से स्वतंत्र होना चाहिए। इसे बिना डर या पक्षपात के न्याय देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

3. उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार :- अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्डस की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है, बल्कि यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर भी हैं। इसके अलावा यह परामर्शदायी एवं सर्वोच्च शक्ति है।

- उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्यायक्षेत्रों को निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है -

1. मूल क्षेत्राधिकार
2. न्यायदेय क्षेत्राधिकार
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार
4. सलाहकार क्षेत्राधिकार
5. अभिलेखों का न्यायालय
6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति
7. अन्य शक्तियाँ।

उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार :-

मूल क्षेत्राधिकार : उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो ;

(i) केन्द्र व एक या अधिक राज्यों के बीच हों, या

(ii) केन्द्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना या,

(iii) दो या अधिक राज्यों के बीच ।

उपरोक्त संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में 'विशेषमूल' न्याय क्षेत्र निहित है।

विशेष का अभिप्राय है किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटने में इस तरह की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय के विशेष आधारभूत न्यायाधिकरण के संबंध में दो बिन्दुओं को ध्यान रखना चाहिए - पहला ' विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो ।

अध्याय – 2

भारत की विदेश नीति

भारत की विदेश नीति –

भारत के विदेश संबंध : भारत की विदेश नीति का विकास

विदेश नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना (Understanding Foreign Policy And International Relations) :-

विदेश नीति वैश्विक घटनाओं से संबंधित है ! यदि आप राष्ट्र की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में करते हैं तो विदेश नीति के विषय में आपको व्यक्ति द्वारा अपने आस-पास के वातावरण से संबंध रखने एवं संचालित होने के रूप में विचार करना होगा ! उदाहरण के लिए , कोई व्यक्ति पहचान , स्व – परिभाषा एवं स्व -हितों के एक समुच्चय के माध्यम से संचालित होता है और संबंधों (परिवार , मित्रों , प्रतिस्प्रधियों , शत्रुओं आदि) के एक जाल में उलझा हुआ होता है ! व्यक्ति की कुछ इच्छा और लक्ष्य होते हैं ! इस प्रकार , अपनी क्षमताओं के आधार पर कोई व्यक्ति जीवन पर्यन्त अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने संबंध बनाने और उन्हें आकार देने में लगा रहता है ! किसी व्यक्ति के लिए ये लक्ष्य और इच्छायें प्राय: सुरक्षा और आत्म – विकास से संबंधित होती हैं !

NOTE :- संप्रभु राष्ट्र से तात्पर्य है – ऐसा राज्य जो अपने सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से स्वंय लेता हो, तथा जो किसी अन्य सत्ता के अधीन न हो । जैसे – भारत, अमेरिका , आदि ।

संप्रभु राष्ट्रों के मामलों में इन लक्ष्यों और इच्छाओं को राष्ट्रीय हित कहा जा सकता हैं ! अपने सटीक रूप में राष्ट्रीय हित समय – समय पर परिवर्तित होते रह सकते हैं , लेकिन हमेशा इसके मूल में सुरक्षा (सैन्य तैयारी, आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा), आर्थिक कल्याण जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, व्यापार , निर्धनता उन्मूलन आदि और राष्ट्र का दर्जा वर्तमान विश्व व्यवस्था में राजनीतिक स्थिति जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता होते हैं ! विदेश नीति , इन्हीं हितों की अभिव्यक्ति एवं उन्हें प्राप्त करने की रुपरेखा है ! जे. बंद्योपाध्याय के अनुसार , यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्य एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया होती है ! बहुत सरल शब्दों में कहे तो विदेश नीति, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने और उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है ! इस प्रकार , भारत की विदेश नीति ऐसे विश्व में राष्ट्रीय हितों को परिभाषित, अभिव्यक्त और प्राप्त करने का प्रयास करती है जहां ये हित कई प्रकार से राष्ट्र की सीमाओं के बाहर स्थित तत्वों और कारको पर निर्भर होते हैं !

निर्धारक : भारत की विदेश नीति को आकार प्रदान करने वाले तत्व और कारक (Determinats : Actors and Factors Shaping India 's Foreign Policy) : - किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति एवं साथ ही इसकी सफलता या असफलता कई कारकों से निर्धारित होती है ! उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- **इतिहास :-** राजनीतिक परम्परा और दार्शनिक आधार क्योंकि भारत के मामले में शान्तिपूर्ण सह – अस्तित्व एवं गैर– आक्रमता को इसके इतिहास और संस्कृति के साथ – साथ राजनीतिक परम्परा से जोड़ा जा सकता हैं !
- **भूगोल :-** स्थान और संसाधन – भू – राजनीतिक और भू रणनीति : भारत में कई नदियाँ , राष्ट्रों की सीमाओं से परे विस्तारित होने वाली हैं अर्थात भारत सहित कई पड़ोसी राष्ट्रों से होकर भी बहती हैं , उदाहरण के लिए गंगा , ब्रह्मपुत्र , एवं तीस्ता इत्यादि! हिमालय और हिन्द महासागर दोनों ही भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं !
- **आर्थिक विकास :-** किसी देश के आर्थिक विकास की आवश्यकता एवं आर्थिक विकास की अवस्था उस देश की विदेश नीति और इनसे संबंधित विकल्पों में माध्यमों एवं उद्देश्यों दोनों तरीको से योगदान करती हैं !
- **घरेलू वातावरण :-** इसमें देश में उपस्थित विभिन्न संस्थाएँ, राजनीतिक वातावरण और राष्ट्रीय हितों पर आम सहमती , आवश्यकताएँ , महत्वकांक्षाएँ एवं क्षमताएं , नेतृत्व तथा नौकरशाही इत्यादि शामिल हैं !
- अंतर्राष्ट्रीय वातावरण :- युद्ध , शांति अर्थात एक शान्तिपूर्ण बाह्य वातावरण आर्थिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है !

विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के रूप में राजनीतिक, आर्थिक और सेन्य साधनों को रखा

जा सकता है ! विगत कई वर्षों में भारत की विदेश नीति में हुए विकास को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त विमर्श के महत्व को पहचाना जा सकता है !

भारत की विदेश नीति का विकास (Evolution of India 's Foreign Policy)

1947 – 1962 : अंतर्राष्ट्रीय , आदर्शवादी और गुटनिरपेक्ष भारत (1947 – 1962 : Internationalist , Idealist And Non – Aligned India) :- स्वतंत्र भारत की विदेश नीति – ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत , द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त की घटनाओं , घरेलू आवश्यकताओं एवं महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरु जैसे व्यक्तिओं आदि कारकों का सम्मिलित परिणाम थी ! यहाँ तक कि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 51 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्द्धन करने हेतु एक प्रावधान सम्मिलित किया, जिसके अनुसार राज्य निम्नलिखित का प्रयास करेगा :

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा ।

2. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाये रखने का प्रयास करेगा ।

3. संगठित लोगों के एक दुसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा ।

4. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा ।

NOTE : – उपनिवेशवाद – किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश (कॉलोनी) स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है ।

स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के आरम्भिक वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु का रचनात्मक प्रभाव था जिसने आने वाले वर्षों पर दीर्घस्थायी प्रभाव छोड़ा एवं इसके विशिष्ट स्वरूप को एक दिशा प्रदान की ! नेहरु जी की दृष्टि में इतिहास , आकार और क्षमता को देखते हुए भारत की विशेष परिस्थिति थी ! दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य वर्चस्व की राजनीति वाले शीत युद्ध के युग में यह अंतर्राष्ट्रीय , अफ्रीकी – एशियाई एकजुटता , उपनिवेशवाद विरोधी एवं गुटनिरपेक्षता को निर्दिष्ट करने वाली विदेश नीति थी ! भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही नई दिल्ली में 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 को एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया ! नेहरु जी के अनुसार 'हम एक युग के अन्त और इतिहास की एक नई अवधि की दहलीज पर खड़े हैं इस निष्क्रियता के लम्बे अन्तराल के बाद एशिया , विश्व मामलों में अचानक पुनः महत्वपूर्ण हो गया है –

पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए जनमत – संग्रह का सुझाव सबसे पहले भारत ने दिया था ! पुनः भारत ने 1947 में कश्मीर की स्थिति का समाधान करने के लिए इसी प्रकार का प्रस्ताव दिया ! दिसम्बर 1947 में कश्मीर में पकिस्तान की आक्रामकता को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने पर , संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपना विश्वास व्यक्त किये जाने को कई लोग भारत के नेतत्व की ओर से की गई त्रुटी के रूप में देखते हैं ! जे. बंद्योपाध्याय के अनुसार ,'कश्मीर के प्रति अपनी नीति में आदर्शवादी और यथार्थवाद दोनों का समन्वय करने के नेहरु के प्रयास ने कश्मीर कूटनीति के कतिपय पहलुओं को प्रभावित किया और यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस मुद्दे को सम्बोधित किया गया होता तो सम्भवतः इसका स्वरूप भिन्न रहा होता ' ! हालांकि , राजीव सीकरी के अनुसार ,'1948 में जब जम्मू – कश्मीर की परिस्थिति बिगडती जा रही थी तब नेहरु पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार था। लेकिन उनके ब्रिटिश सेना प्रमुख ने उनका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ! भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के दबाव में उन्होंने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया ! '

फिर भी, संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रारम्भिक अनुभव ने भारत की विदेश नीति में पश्चिमी विश्व के प्रति संदेह को और भी अधिक मजबूत किया ! इसका परिणाम , एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर चलने वाले एवं तत्कालीन वर्चस्व की राजनीति से समान दुरी बनाए रखने वाला मार्ग (गुटनिरपेक्ष सिद्ध) निर्धारित करने के प्रयासों के रूप में सामने आया !

इस चरण में भारत की विदेश नीति की तीन प्रमुख विशेषताए थी ! पहली , भारत ने बहुपक्षीय संस्थाओं

बिहार की राजव्यवस्था

• राजनीतिक व्यवस्था

बिहार की वर्तमान राजव्यवस्था क्रमिक ढंग से विकसित हुई है। यह देश व्यापी राजव्यवस्था का एक अंग है। पृथक प्रांत के रूप में बिहार का गठन 1912 में हुआ था।

1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के प्रांतीय शासन से संबंधित प्रावधानों का बिहार के प्रशासन में भी क्रियान्वयन हुआ।

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान ने भारत के लिए संघीय राजव्यवस्था निर्धारित की और विभिन्न राज्यों के प्रशासन संबंधी प्रावधान प्रस्तुत किये। और वर्तमान में बिहार राजव्यवस्था इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है।

भारत सरकार के अधिनियम 1935 ने देश में द्वैध शासन (1919 के विधान से स्थापित व्यवस्था समाप्त कर दी। इस नए अधिनियम ने राज्यों को न केवल वित्तीय प्रशासनिक तथा विधान -संबंधी स्वायत्ता प्रदान की बल्कि 11 में से 6 राज्यों में विधान सभा के गठन का भी प्रावधान किया गया।

भारतीय संविधान के भाग 6 जिसमें 152 -237 अनुच्छेद हैं राज्य स्तर पर सरकार के ढांचे से संबंधित है। बिहार की राज्य व्यवस्था संविधान के प्रावधानों पर ही आधारित है।

- भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था।
- 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी के बाद भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था स्थापित करने की सोची थी जिसके लिए संविधान निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की गई।
- 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
- इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
- संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है यानी केंद्र और राज्यों की अलग-अलग सरकारें हैं।
- दोनों का अधिकारिक क्षेत्र और शक्तियां स्पष्ट परिभाषित होती है। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इस समय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 331 जिसमें की 330 निर्वाचित एवं मनोनीत थे।
- स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, और अपनी मृत्यु 31 जनवरी 1961 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे।
- 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद बिहार में कुल 38 जिले रह गए।
- बिहार में द्विसदनीय राजव्यवस्था है।
- बिहार के 38 जिलों में कुल 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है।
- एक सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित है जिसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है।
- लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के 40 तथा राज्यसभा के सदस्य 16 एवं विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है बिहार की राजव्यवस्था का वही रूप है जो भारतीय संघ के अन्य राज्यों का है।
- वर्तमान में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान प्राप्त करता है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वाँ बड़ा राज्य है।

बिहार के राज्य प्रशासन को पांच भागों में बांटा गया है जो कि निम्न है:-

1. कार्यपालिका
2. विधायिका
3. न्यायपालिका
4. स्थानीय प्रशासन
5. भारतीय संघ

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

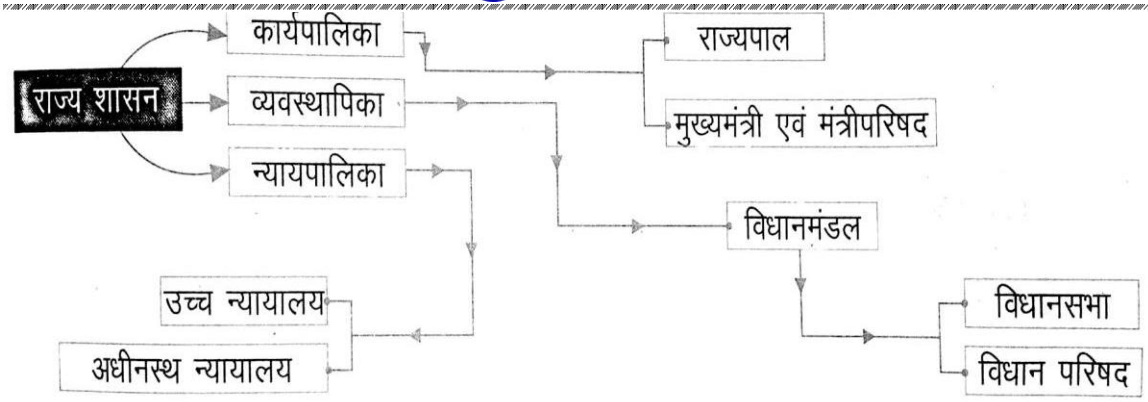

भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य प्रशासन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधान मंडल का गठन किया गया है।

राज्यों से संबंधित संविधान का छठा भाग

अनुच्छेद 153 से 162	राज्य के राज्यपाल से संबंधित है।
अनुच्छेद 163 से 164	मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रीपरिषद से संबंधित है।
अनुच्छेद 165	राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित है।
अनुच्छेद 166	राज्य की सरकार के संचालन से संबंधित है।
अनुच्छेद 167	मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है।
अनुच्छेद 168 से 195	राज्यों की विधायिकाओं के संगठन इत्यादि से संबंधित है।
अनुच्छेद 196 से 212	राज्य की विधायिनी प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं।
अनुच्छेद 213	राज्यपाल की विधायिनी शक्तियों का उल्लेख करते हैं।
अनुच्छेद 214 से 232	राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन व शक्तियों का उल्लेख करते हैं।
अनुच्छेद 233 से 237	निम्न अदालतों से संबंधित है।

इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन अंग हैं जो कि निम्न हैं:-

1. *राज्यपाल*
2. *विधान परिषद*
3. *विधानसभा*

• राज्यपाल

बिहार की राज्य सरकार तीन इकाइयों में विभाजित है।

1. कार्यपालिका
2. विधायिका
3. न्यायपालिका

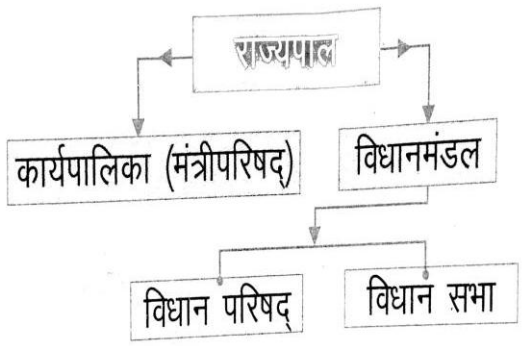

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल के पद व अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक में किया गया है।
- राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही संचालित होता है। इस सन्दर्भ में राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, किन्तु फिर भी वह मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करता है।
- सामान्यतः भारत में एक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार किसी एक व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है।

राज्यपाल पद के लिए योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी उम्र कम-से-कम 35 वर्ष हो।
3. वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दोनों के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो।
4. वह भारतीय संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो।
5. वह किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो ।
6. राज्यपाल पद पर चयनित होने के लिए उसे राज्य विधान सभा के सदस्य की सभी योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।

राज्यपाल की नियुक्ति

- राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है,किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत होता है।
- राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।
- राजपाल को निःशुल्क आवास भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है।
- अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल के वेतन,अधिकारों एवं सुविधाओं को उसकी पदावधि तक कम नहीं किया जा सकता है।
- राज्यपाल को 3 लाख 50 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद किसी भी सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे अधिक वेतन है।

राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं । अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसको वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है ।

राज्यपाल के अधिकार

- भारतीय संविधान राज्यपाल को कार्यपालिका, वैधानिक, वित्तीय, न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा विशेष परिस्थितियों में विवेकाधिकार भी प्राप्त है।

कार्यपालिका संबंधी अधिकार

- राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह राज्यपाल अन्य

- भारत के नागरिक होने के साथ-साथ न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

विधान परिषद के कार्य

विधायी कार्य

- विधान परिषद किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास भेज सकता है परंतु यह अनिवार्य है की वह विधेयक पहले विधान सभा में पारित किया गया हो। अगर कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है तो विधान परिषद के पास पूर्ण अधिकार है कि उस विधेयक को वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा खारिज कर सकता है या फिर उसे 3 महीने के लिए रोक सकता।
- अगर उस विधेयक पर विधानसभा फिर से प्रस्ताव जारी करता है तो विधान परिषद उस विधेयक पर दोबारा 1 महीने के लिए रोक लगा सकता है या फिर उसमें कोई बदलाव ला सकता है उसके बाद विधान परिषद विधेयक को पूर्ण मंजूरी ना दे तब भी यह विधेयक दोनों सदनों में पारित समझा जाता है।
- विधान परिषद का कोई प्रस्ताव विधान सभा अवमान्य कर दे तो वह रद्द हो जाता है ।

वित्तीय कार्य

- किसी भी राज्य के वित्तीय शक्तियां विधानसभा के पास होती है। कोई भी विधेयक पहले विधानसभा में ही पारित किया जाता है विधान परिषद का कार्य सिर्फ इतना है कि वह उस धन विधेयक को स्वीकृति देगा या फिर उसमें कोई बदलाव लाएगा या फिर 14 दिन के लिए उस विधेयक को रोक लगा सकता है। यदि 14 दिन की अवधि के दौरान विधान परिषद उस विधेयक पर कोई कार्य नहीं करता है तो उसे राज्यपाल की स्वीकृति से विधानसभा के पास अधिकार होता है की वह उस संशोधन को माने या बिना माने उस विधेयक को दोनों सदनों में पारित कर देता है और उस विधेयक को स्वीकृति मिल जाती है।
- भारतीय संविधान में यह उपबंध है की विधान परिषद के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ मनोनित होंगे । सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है ।

विधान परिषद का सत्र राज्यपाल द्वारा बुलाया जाता है। किसी एक कार्य में इसका कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है एवं एक सत्र के अंतिम दिन तथा दूसरे सत्र के प्रथम दिन के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए।

24 अगस्त, 2022 को जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के सभापति चुने गए हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर सभापति पद के लिये निर्विरोध निर्वाचित हुए।

बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सभापति एवं इनके कार्यकाल		
1.	माननीय सर वाल्टन मोड़े	1921
2.	माननीय डा. सच्चिदानन्द सिन्हा	जुलाई, 1921 नवम्बर, 1922
3.	माननीय खान बहादुर ख्वाजा मु. नूर	1922 – 1929
4.	माननीय बाबू निरसू नारायण सिंह	1930 – 1932
5.	माननीय बाबू रजनधारी सिंह	1933 – 1936
बिहार विधान परिषद के सभापति एवं इनके कार्यकाल		
1.	माननीय राजीव रंजन प्रसाद	23 जुलाई, 1937 से 6 सितंबर, 1948
2.	माननीय श्यामा प्रसाद सिंह	7 सितम्बर, 1948 से 11 मई, 1952
3.	माननीय नईमा खातून हैदर (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	12 मई, 1952 से 15 मई, 1952
4.	माननीय श्यामा प्रसाद सिंह	15 मई, 1952 से 6 मई, 1958

5.	माननीय रामेश्वर प्रसाद सिंह (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	4 अप्रील, 1959 से 7 अप्रील, 1959
6.	माननीय राय ब्रज राज कृष्णा (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 अप्रील, 1959 से 6 मई, 1962
7.	माननीय राधा गोविन्द प्रसाद (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 मई, 1962 से 10 सितम्बर, 1962
8.	माननीय रावणेश्वर मिश्र	11 सितम्बर, 1962 से 6 मई, 1964
9.	माननीय कुमार गंगा नन्द सिंह (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 मई, 1964 से 24 सितम्बर, 1964
10.	माननीय थियोडोर बोद्रा (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	24 सितम्बर, 1964 से 30 अगस्त, 1965
11.	माननीय देवशरण सिंह	30 अगस्त, 1965 से 6 मई, 1968
12.	माननीय थियोडोर बोद्रा (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 मई, 1968 से 16 मई, 1972
13.	माननीया रामप्यारी देवी (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	17 मार्च, 1972 से 6 मई, 1972
14.	माननीय अनिल कुमार सेन (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 मई, 1972 से 5 जून, 1972

15.	माननीय अब्दुल गफ़ूर	5 जून, 1972 से 2 जुलाई, 1973
16.	माननीय डा. राम गोविन्द सिंह (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	2 जुलाई, 1973 से 5 जनवरी, 1975
17.	माननीय महेन्द्र प्रसाद (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	5 जनवरी, 1975 से 18 मार्च, 1975
18.	माननीय डा. राम गोविन्द सिंह (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 जनवरी, 1975 से 18 मार्च, 1975
19.	माननीय कृष्णकान्त सिंह (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	18 मार्च, 1975 से 19 मार्च, 1975
20.	माननीय डा. राम गोविन्द सिंह (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	19 मार्च, 1975 से 6 मई, 1976
21.	माननीय सुश्री राजेश्वरी सरोज दास (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 मई, 1976 से 6 मई, 1980
22.	सभापति एवं उप-सभापति के दोनों पद रिक्त	7 मई, 1980 से 13 जून, 1980
23.	माननीय शामू चरण तुबिद (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	14 जून, 1980 से 24 जुलाई, 1980

24.	माननीय पृथ्वी चन्द किस्कू	25 जुलाई, 1980 से 12 जनवरी, 1985
25.	सभापति एवं उप-सभापति के दोनों पद रिक्त	13 जनवरी, 1985 से 17 जनवरी, 1985
26.	माननीय राजेश्वरी सरोज दास (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	18 जनवरी, 1985 से 29 जनवरी, 1985
27.	माननीय अरुण कुमार	5 जुलाई, 1985 से 3 अक्तूबर, 1986
28.	माननीय डा. उमेश्वर प्रसाद वर्मा (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	4 अक्तूबर, 1986 से 18 जनवरी, 1990
29.	माननीय डा. उमेश्वर प्रसाद वर्मा	19 जनवरी, 1990 से 6 मई, 1994
30.	माननीय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 मई, 1994 से 5 अप्रील, 1995
31.	माननीय प्रो. जाबिर हुसेन (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	6 अप्रील, 1995 से 25 जुलाई, 1996
32.	माननीय प्रो. जाबिर हुसेन	26 जुलाई, 1996 से 6 मई, 2000
33.	माननीय प्रो. जाबिर हुसेन (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	7 मई, 2000 से 29 जून, 2000
34.	माननीय प्रो. जाबिर हुसेन	30 जून, 2000 से 15 अप्रील, 2006
35.	माननीय प्रो. अरुण कुमार (संविधान की धारा 184 (1) के अन्तर्गत)	16 अप्रील, 2006 से 4 अगस्त, 2009(अप.)
36.	माननीय ताराकान्त झा	4 अगस्त, 2009 से 6 मई, 2012
37.	माननीय अवधेश नारायण सिंह	8 अगस्त, 2012 से 8 मई, 2017
38.	हारून रसीद	9 मई 2017 से
39.	देवेश चंद्र ठाकुर बिहार	24 अगस्त 2022 से वर्तमान

INFUSION NOTES
ONLY THE BEST WILL DO

- **मंत्री परिषद**

अनुच्छेद 163(1) के अनुसार सभी राज्यों में मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं परंतु वास्तविक रुप से यह सभी शक्तियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधान परिषद को प्राप्त है।

मंत्री बनने के लिए विधान मंडल का सदस्य होना अनिवार्य है ।

मंत्री परिषद का गठन

- राज्यपाल मंत्री परिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार करते हैं। अगर विधानसभा के किसी दल या संगठन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती है तो राज्यपाल का यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से किसी भी आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- अगर राज्यपाल बहुमत दल के ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जो विधायक नहीं है तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर राज्य विधान मंडल के सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है।
- संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी परंतु इस की न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए।
- सभी मंत्री अपने पद को ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष अपने सभी अधिकारों और गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री – यह मंत्री अपने विभाग के प्रधान होते हैं । अपने कार्य कलापों में स्वतंत्र होते हैं । मुख्यमंत्री इनके विभाग से संबंधित मामलों में राय मसवरा लेता है ।

राज्य स्तर के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – मंत्री परिषद के ये द्वितीय स्तर के मंत्री होते हैं ।

राज्य मंत्री – यह मुख्य रूप से मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के सहायक की भूमिका निभाता है ।

उपमंत्री – यह चतुर्थ स्तर के मंत्री होते हैं ।

मंत्री परिषद के कार्य

राज्य में समस्त शासन का संचालन मंत्री परिषद ही करती है। मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियां निम्न हैं –

- मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है। मंत्री परिषद प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ।
- मंत्री परिषद राज्य के प्रशासन संचालन के लिए नीति का निर्माण करती है। राज्य की राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का हल निकालती है ।
- राज्यपाल शासन के उच्च पदों पर नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही करता है ।
- मंत्री परिषद की कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है मंत्री न केवल कानून निर्माण के लिए विधेयक तैयार करते हैं अपितु विधानमंडल में प्रस्तुत भी करते हैं और उनको पारित करवाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।
- मंत्रीपरिषद बजट तैयार करती है और वित्तमंत्री उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करता है ।
- मंत्री परिषद विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करती है और विधानसभा के विभिन्न प्रश्नों यथा- तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर देती है ।
- मंत्रीपरिषद ही विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदाई होती है। गठबंधन सरकार के युग में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व में कमी आई है। मंत्री, मुख्यमंत्री के स्थान पर अपने दल के नेता के निर्देश मानते हैं। वे मंत्रिपरिषद के निर्णय की स्वयं आलोचना भी करने लगे हैं जिससे सामूहिक उत्तरदायित्व ह्रास हो रहा है ।

मंत्रीपरिषद और मंत्रीमंडल में अंतर

मंत्रिपरिषद यह एक बड़ी संस्था होती है , जिसके अन्दर मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री , और राज्य स्तर के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) , राज्य मंत्री , उपमंत्री शामिल होते हैं ।

मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है । इसमें सिर्फ मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री शामिल होते हैं

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk8S6W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/gubxrj

Online order – https://bit.ly/42AN5s2

Call करें - 9887809083